

## राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. स.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	आलोच्य आदेश	नाम अधिवक्ता
1.	1909/2025	डॉ. मुकेश कुमार	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	15.01.2025 (अनुलग्नक-1)	श्री विजय पूनिया
2.	1910/2025	डॉ. सुमन मीणा	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	15.01.2025 (अनुलग्नक-1)	श्री विजय पूनिया

आदेश की दिनांक : 05.03.2025

उपस्थिति :-

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष  
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

### आदेश

- मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
- उपरोक्त तालिका में अंकित दोनों अपीलार्थीगण पति-पत्नी है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि दोनों अपीलार्थीगण का एक ही आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) के द्वारा स्थानांतरण किया गया है, जिसमें अपीलार्थी डॉ. मुकेश कुमार का स्थानांतरण आदेश में क्रम संख्या-56 पर सीएचसी उदयपुरवाटी, झुंझुनू से सीएचसी गुडामालानी, बाड़मेर में किया गया है एवं उसी आदेश में क्रम संख्या-80 पर अपीलार्थी डॉ. सुमन मीणा का स्थानान्तरण सीएचसी उदयपुरवाटी, झुंझुनू से जिला चिकित्सालय, खींवसर नागौर में किया गया है। इस प्रकार बिना विवेक का प्रयोग किये पति-पत्नी दोनों को भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थानान्तरित किया गया है, जबकि राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति के अनुसार पति पत्नी दोनों की राजकीय सेवा में होने पर उन्हें एक ही स्थान पर रखा जाना चाहिए था, परन्तु आलोच्य आदेश उक्त नीति के विरुद्ध जाकर पारित किया गया है। जिससे अपीलार्थीगण को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
- हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से

यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण पति-पत्नी है, जिनका स्थानान्तरण एक ही आदेश से दो भिन्न स्थानों पर किया गया है।

4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थीगण को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 4 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थीगण को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थीगण के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थीगण की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थीगण को वहीं कार्यरत रखा जावे जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत थे।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थीगण द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।
7. मूल आदेश अपील संख्या-1909/2025 एवं छाया प्रति अन्य अपील में संलग्न की जावे।

अनन्त भंडारी)  
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)  
अध्यक्ष